



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112024-258811
CG-DL-E-21112024-258811

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4610]
No. 4610]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 2024/कार्तिक 30, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2024/KARTIKA 30, 1946

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2024

का.आ. 4998(अ).—वास्तुकला परिषद नियमावली, 1973 के नियम 35 के उप नियम (1) के साथ पठित वास्तुविद अधिनियम, 1972, (1972 का 20) की धारा 44 की उप धारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पूर्ववर्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार की दिनांक 3 जुलाई, 2013 के का.आ. 2115(अ) के तहत अधिसूचना, जो भारत के दिनांक 10 जुलाई, 2013 के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित अनुवर्ती संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 से 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

- “1. वास्तुकार नवीन कनिथि - वास्तुकला परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से चुने गए।
2. वास्तुकार पुष्कर मुरलीधर कनविंडे- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का प्रतिनिधित्व करने वाले।
3. वास्तुकार अजय केशव, मुख्य वास्तुकार, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग - केंद्र सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले।”

[फा. सं. 4-29/2010-टीएस.VI]

सौम्या गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई, 2013 के का.आ. 2115(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और दिनांक 26 फरवरी, 2014 की संख्या का.आ. 664(अ), दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 की संख्या का.आ. 2980(अ), दिनांक 06 मई, 2016 की संख्या का.आ.1681(अ), दिनांक 25 नवंबर, 2016 की संख्या का.आ. 3570(अ), दिनांक 30 मार्च, 2017 की संख्या का.आ.1014(अ), दिनांक 03 अगस्त, 2017 की संख्या का.आ. 2493(अ), दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 की संख्या का.आ. 5564(अ), दिनांक 12 फरवरी, 2019 की संख्या का.आ. 866(अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 की संख्या का.आ. 3849(अ), और दिनांक 14 जुलाई, 2021 की संख्या का.आ. 2828(अ) के तहत आगे संशोधित किया गया।

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2024

S.O. 4998(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub section (2) of section 44 of the Architects Act, 1972, (20 of 1972) read with sub-rule (1) of rule 35 of Council of Architecture Rules, 1973, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) *vide* number S.O. 2115(E), dated 3rd July, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 10th July, 2013, namely:-

2. In the said notification, for serial numbers 1 to 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

- “1. Ar. Naveen Kanithi – Elected by Council of Architecture from amongst its members.
2. Ar. Pushkar Murlidhar Kanwinde– Representing All India Council for Technical Education.
3. Ar. Ajay Keshav, Chief Architect, Central Public Works Department – Representing Ministries of Central Government.”.

[F. No. 4-29/2010-TS.VI]

SAUMYA GUPTA, Jt. Secy.

Note :-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.2115(E), dated the 10th July, 2013 and further amended *vide* number S.O.664(E) dated the 26th February, 2014, number S.O.2980(E), dated the 30th October, 2015, number S.O.1681(E), dated the 06th May, 2016, number S.O. 3570(E), dated the 25th November, 2016, number S.O. 1014(E), dated the 30th March, 2017, number S.O.2493(E) dated the 03rd August, 2017, number S.O.5564(E), dated the 29th October, 2018, number S.O.866(E), dated 12th February, 2019, number S.O.3849(E), dated 27th October, 2020 and number S.O. 2828(E) dated 14th July, 2021.